न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 140 सन 2019

अनवान :–

1. मोनिका पुत्री श्री गुगनराम पत्नी राकेश कुमार जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ हाल निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

सायला

बनाम

1. गुगनराम पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक नोहर तहसील खूईया।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता सायला

निर्णय दिनांक :– 3/3/21

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया व प्रार्थीया की बहन फुलादेवी व सोनादेवी के दादा भुराराम व अप्रार्थी के भाई अरजन व अमरसिह के पिता की स्वय की कब्जा काश्त की भूमि रोही मौजा चेनपुरा के खाता संख्या 3/4 की कुल 8.5610हैक भूमि स्थित थी जो प्रार्थीया व प्रार्थीया के पिता गुगनराम के पिता भुराराम व माता मीरा के देहान्त होने पर अप्रार्थी एवं उसके भाईयों के साथ मुश्तरका खाते में दर्ज हुई है।

वाद भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के पिता भुराराम के देहान्त होने पर विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है अर्थात रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 3/4 की कुल 8.5610हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 2.8537हैक भूमि दर्ज है जिसमें सायला का 1/4 हिस्सा की पैदायशी हकदार है।

वर्तमान में वाद भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है अप्रार्थी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि में से सायला अपने हकों की धोषणा करवाना चाहती है साथ ही सायल सयुक्त खाता की भूमि का खाता व लगान किस्म भूमि के अनुसार करवाना चाहती है ताकि सीव डोल का भविष्य में झगडा ना हो ।

अप्रार्थी संख्या 1 वर्तमान में गलत सोहबत में पड गया है इसलिये अप्रार्थी अपने नाम भूमि दर्ज होने का फायदा उठाकर अच्छी किस्म की भूमि को बेचान करने पर उतारू है यदि अप्रार्थी संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है सायला को अपूर्णीय क्षति होगी सायला अपने हक हिस्सा की भूमि को सुरक्षित रखने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने की अधिकारी है

अतः सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चेनपुरा के खाता संख्या 3/4 की कुल 8.5610हैक भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा अर्थात 2.8537हैक भूमि में सायला के हक हिस्सा की धोषणा होने एवं वाद भूमि का खाता व लगान अलग अलग होने तक अप्रार्थी वाद भूमि को रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित ना करे रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

सायला का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल को तलब किये जाने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 फोरमल पक्षकार है जबाब की आवश्यकता नही। सायला की एक पक्षिय बहस सुनी गई।

सायला के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की प्रार्थीया व प्रार्थीया की बहन फुलादेवी व सोनादेवी के दादा भुराराम व अप्रार्थी के भाई अरजन व अमरसिह के पिता की स्वय की कब्जा काश्त की भूमि रोही मौजा चेनपुरा के खाता संख्या 3/4 की कुल 8.5610हैक भूमि स्थित थी जो प्रार्थीया व

प्रार्थीया के पिता गुगनराम के पिता भुराराम व माता मीरा के देहान्त होने पर अप्रार्थी एवं उसके भाईयों के साथ मुश्तरका खाते में दर्ज हुई है।

वाद भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के पिता भुराराम के देहान्त होने पर विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है अर्थात रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 3/4 की कुल 8.5610हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 2.8537हैक भूमि दर्ज है जिसमें सायला का 1/4 हिस्सा की पैदायशी हकदार है।

वर्तमान में वाद भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है अप्रार्थी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि में से सायला अपने हकों की धोषणा करवाना चाहती है साथ ही सायल सयुक्त खाता की भूमि का खाता व लगान किस्म भूमि के अनुसार करवाना चाहती है ताकि सीव डोल का भविष्य में झगडा ना हो ।

अप्रार्थी संख्या 1 वर्तमान में गलत सोहबत में पड गया है इसलिये अप्रार्थी अपने नाम भूमि दर्ज होने का फायदा उठाकर अच्छी किस्म की भूमि को बेचान करने पर उतारू है यदि अप्रार्थी संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है सायला को अपूर्णीय क्षति होगी सायला अपने हक हिस्सा की भूमि को सुरक्षित रखने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने की अधिकारी है सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

हमने सायला के अधिवक्ता की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की वाद भूमि में प्रार्थीया का कोई हक हिस्सा है या नही वाद में तो प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपुर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है देखा जाना है ।

प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 3/4 की कुल 8.5610हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो अप्रार्थी संख्या 1 व उसके दो भाईयों के साथ मुश्तरका खाते में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थीया के दादा भूराराम के नाम से दर्ज थी जो बाद में प्रार्थीया के पिता गुगनराम के नाम से दर्ज हुई है अर्थात वाद भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम उसके पिता के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होनी प्रतित होती है जो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा किन्तु प्रथम दृष्टया प्रकरण तो सायला के पक्ष में पाया जाता है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो कभी भी वाद भूमि को खूर्द बूर्द या रहन बेय कर सकता है वाद भूमि में सायला का हक है या नही साबित होने से पूर्व में वाद भूमि का यदि बेचान होता है तो अपूर्णीय क्षति सायला को हो सकती है अर्थात अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी सायला के पक्ष में प्रतित होता है।

वाद भूमि में सायला का हक हिस्सा है या नही एवं सायला किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान अलग करवाने की अधिकारी है या नही की धोषणा होने तक वाद भूमि की यथास्थिति बनाई रखी जानी न्यायोचित है ताकि विवाद और ना बढे।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायला न0 1 के पक्ष में साबित होने के कारण सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 20.11.2019 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3/3/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)